जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण चमोली

(District Disaster Management Authority Chamoli)

जनपद – चमोली

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम ,2005 की धारा 25)

1. जनपद का जिलाधिकारी प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष
2. स्थानीय निकाय का निर्वाचित प्रतिनिधि प्राधिकरण का पदेन सह–अध्यक्ष
3. प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन सदस्य
4. पुलिस अधीक्षक पदेन सदस्य
5. मुख्य चिकित्साधिकारी पदेन सदस्य
6. राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकतम 02 जनपद स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य

शासनादेश संख्या –1501-13/XVIII(2)/07-3(6)/2007 दिनांक 04.12.2007 द्वारा उत्तराखण्ड़ के समस्त जनपदों में आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण गठित

जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियों व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 30)

1. जनपद प्रतिवादन योजना (Response Plan) को समावेशित करते हुये जनपद आपदा प्रबन्धन योजना का विकास
2. राष्ट्रीय नीति (Policy), राज्य नीति, राष्ट्रीय, राज्य व जनपद योजनाओं (Plans) के क्रियान्वयन (Implementation) हेतु समन्वयन (Coordianation) व परिवीक्षण
3. जनपद में आपदाओं के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन और आपदा रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु आवश्यक उपायों का क्रियान्वयन
4. जनपद स्तर पर समस्त सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा राष्ट्रीय व राज्य प्राधिकरण द्वारा आपदा रोकथाम, प्रभावों के न्यूनीकरण, पूर्व तैयारी एंव प्रतिवादन (Response) हेतु निर्गत मार्ग–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना
5. जनपद व स्थानीय निकायों एवं प्राधिकारियों को आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु आवश्यक निर्देश
6. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों को आपदा प्रबन्धन योजनायें बनाये जाने हेतु मार्गनिर्देश
7. जनपद स्तरीय विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबन्धन योजनाओं के क्रियान्वयन (Implementation) के स्तर का अनुश्रवण (Monitoring)
8. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपायों को जनपद स्तरीय विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों में समावेशित किये जाने हेतु दिशानिर्देश व आवश्यक तकनीकि सहायता
9. उपरोक्त का क्रियान्वयन (Implementation) सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण (Monitoring);
10. आपदा की परिस्थितियों का सामना करने के लिये क्षमताओं (Capacity) की समीक्षा (Review) व आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों को क्षमताओं के उच्चीकरण (Upgradation) हेतु दिशा–निर्देश
11. पूर्व तैयारी (Preparesness) के स्तर की समीक्षा (Review) एवं सम्भावित आपदाओं का सामना करने के दृष्टिगत पूर्व तैयारी का वांछित स्तर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को दिशा–निर्देश
12. विभिन्न स्तरीय अधिकारियों, कार्मिकों व स्वयं सेवी बचाव कार्मिकों (Voluntary Rescue Workers) के लिये विशिष्ट प्रशिक्षणों (Specialized Training Programmes) का आयोजन
13. आपदा रोकथाम एवं न्यूनीकरण के दृष्टिगत स्थानीय निकायों, सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं के सहयोग से सामुदायिक क्षमता विकास व जन जागरूकता कार्यक्रमों (Communtiy Training Awareness Programmes) का आयोजन

14. आपदा चेतावनी तंत्र (Warning Mechanism) व जनसूचना तंत्र (Public Information System) विकसित किया जाना एवं रख–रखाव व उच्चीकरण
15. जनपद स्तरीय प्रतिवादन (Response) योजना व मार्गनिर्देशिकाओं (Guidelines) का विकास, समीक्षा तथा उच्चीकरण
16. आपदा की परिस्थिति में प्रतिवादन (Response) कार्यों का समन्वयन (Coordination)
17. सुनिश्चित किया जाना कि जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एवं स्थानीय निकायों द्वारा जनपद प्रतिवादन (Response) योजना के अनुरूप विभागीय प्रतिवादन योजना का विकास किया जाये
18. आपदा की परिस्थितियों में प्रभावी प्रतिवादन (Response) सुनिश्चित किये जाने हेतु मार्गनिर्देशों का विकास एंव जनपद के सम्बन्धित सरकारी विभागों व अन्य निकायों को इनके अनुपालन हेतु दिशा–निर्देश
19. आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों में लगे सभी जनपद स्तरीय सरकारी विभागों, निकायों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य को परामर्श व सहायता एवं इनके कार्यो में समन्वयन
20. आपदा रोकथाम (Prevention) एंव न्यूनीकरण (Mitigation) उपायों के त्वरित (Prompt) एंव प्रभावी (Effective) क्रियान्वयन हेतु जनपद में अवस्थित स्थानीय निकायों व अन्य के साथ समन्वयन व आवश्यक दिशा–निर्देश
21. स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक तकनीकि सहायता उपलब्ध करवाना
22. विकास योजनाओं में आपदा रोकथाम एंव न्यूनीकरण सम्बन्धित पक्षों का समावेश सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एंव स्थाानीय निकायों द्वारा तैयार की गयी योजनाओं की समीक्षा (Review)
23. आपदा सुरक्षा माानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत जनपद में हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण (Inspection) एंव मानकों की अवहेलना (Non-compliance) पाये जाने पर सम्बन्धितों को आवश्यक सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिशा–निर्देश
24. आपदा की परिस्थितियों में आश्रय स्थलों व राहत शिविरों के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाली अवसंरचनाओं का चिन्हांकन एंव इनमें पानी, साफ–सफाई व अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना
25. राहत एंव बचाव सामग्रियों का भण्डार या फिर उपयुक्त पूर्व तैयारी के साथ सुनिश्चित किया जाना कि आवश्यकता पड़ने पर वांछित सामग्रियों की तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके
26. राज्य प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित पक्षों पर सूचनायें उपलब्ध करवाना
27. जनपद में स्थानीय स्तर पर कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं व सामाजिक कल्याणकारी संस्थाओं (Social Welfare Institutions) को आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित कार्यों के लिये प्रोत्साहित करना
28. सुनिश्चित किया जाना कि संचार तंत्र (Communication Systems) कार्यरत है व आपदा सम्बन्धित अम्यास किये जा रहे है
29. राज्य सरकार या प्राधिकरण द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित अन्य कार्यों का सम्पादन

आपदा की स्थिति में जनपद प्रबन्धन प्राधिकरण की शक्तियां व कृत्य (आपदा प्रबन्धन अधिनियम,2005 की धारा 34)

1. जनपद में अवस्थित सरकारी विभागों व निकायों के पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये उपलब्ध करवाये जाने हेतु निर्देश
2. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण व प्रतिबन्ध

3. आपदा सम्भावित व आपदा प्रभावित क्षेत्र व्यक्तिओं के आवागमन पर नियंत्रण व प्रतिबन्ध
4. मलबा हटाना , खोज एंव बचाव कार्य
5. आश्रय, भोजन, पेयजल, आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सुविधाओं व अन्य सेवाओं की व्यवस्था
6. प्रभावित क्षेत्र में आपातकालीन (Emergency) संचार व्यवस्था की स्थापना
7. मृतकों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था
8. जनपद में स्थित किसी भी सरकारी विभाग व निकाय को आपदा की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक उपाय किये जाने हेतु निर्देश
9. आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञों व परामर्शदाताओं से परामर्श
10. किसी भी संस्था या व्यक्ति से आवश्यकतानुसार वांछित सामग्री की आपूर्ती
11. अस्थाई पुलों व अन्य आवश्यक संरचनाओं का निर्माण तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत असुरक्षित अवसंरचनाओं को ध्वस्त (Demolish) किया जाना
12. सुनिश्चित किया जाना कि स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवाओं में किसी प्रकार का भेदभाव न हो
13. स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यक एंव वांछित अन्य कार्यों का सम्पादन

जनपद आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 31)

जनपद स्तरीय योजना में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश किया जाना है:

1. विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील स्थानों व क्षेत्रों का चिन्हांकन व विवरण

2. जनपद स्तरीय सरकारी विभागों व स्थानीय निकायों द्वारा आपदा रोकथाम एंव न्यूनीकरण हेतु किये जाने वाले कार्य

3. त्वरित एंव प्रभावी आपदा प्रतिवादन (Response) के दृष्टिगत आवश्यक क्षमता विकास (Capacity Building) एंव पूर्व तैयारी (Preparedness) हेतु जनपद स्तरीय सरकारी विभागों एंव स्थानीय निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्य

4. निम्नलिखित के दृष्टिगत आपदा की स्थिति के लिये प्रतिवादन (Response) योजना एंव कार्यविधियॉ (Operating Procedures)

- जनपद स्तरीय विभागों व स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों का निर्धारण
- आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिवादन एंव तत्कालिक राहत
- आवश्यक सामग्रियों का क्रय व आपूर्ति
- संचार तंत्र की स्थापना
- जनसाधारणके लिये सूचनाओं का प्रसारण
- राज्य प्राधिकरण द्वारा वांछित अन्य जानकारियॉ

जनपद में स्थित विभागों की आपदा प्रबन्धन योजना (आपदा प्रबन्धन अधिनिय, 2005 की धारा 32)

जनपद में अवस्थित केन्द्र व राज्य सरकार के समस्त विभागों एंव स्थानीय निकायों द्वारा जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचनाओं का समावेश करते हुये अपनी आपदा प्रबन्धन योजनायें विकसित की जानी है:

1. जनपद योजना में प्रयुक्त एंव सम्बन्धित विभाग के उत्तरदायित्वों के अन्तर्गत आने वाले आापदा रोथाम व न्यूनीकरण उपायों हेतु व्यवस्थायें एंव संसाधन (Resources)

2. जनपद योजना के अनूरूप क्षमता विकास एंव पूर्व तैयारी सम्बन्धित कार्यों हेतु व्यवस्थायें

3. आपदा की स्थिति का सामना करने के लिये प्रतिवादन योजना (Response Plan) व अन्य कार्यविधियॉ (Operating Procedures)

आपदा प्रबन्धन हेतु संसाधन (आपदा प्रबन्धन अधिनियम– 2005 की धारा 46, 47, 48 व 50)

(क) राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन कोष (National Disaster Response Fund) (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 46)

1. केन्द्र सरकार द्वारा आपदा की स्थितियों का सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन कोष की स्थापना किये जाने की व्यवस्था

2. यह कोष आपातकालीन प्रतिवादन (Response), राहत एंव पुनर्वास सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (National Executive Committee) को उपलब्ध

3. इस कोष का उपयोग आपातकालीन प्रतिवादन (Emergency Response), राहत (Relief), एंव पुनर्वास (Rehabilitation) हेतु जाना अनुमन्य

4. इस कोष से व्यय के लिये केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA) से परामर्श कर मानक बनाये जाने की व्यवस्था

(ख) राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (National Disaster Mitigation Fund) (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 47)

1. आपदा न्यूनीकरण आवश्यकताओं के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की स्थापना किये जाने की व्यवस्था
2. इस कोष का संचालन राष्ट्रीय प्राधिकरण (NDMA) द्वारा किये जाने की व्यवस्था

(ग) राज्यों द्वारा स्थापित कोष (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 48)

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कोष स्थापित किये जाने की व्यवस्था हैः

1. राज्य आपदा प्रतिवादन कोष (State Disaster Response Fund)
2. राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (State Disaster Mitigation Fund)
3. जनपद आपदा प्रतिवादन कोष (District Disaster Response Fund)
4. जनपद आपदा न्यूनीकरण कोष (District Disaster Mitigation Fund)

राज्य आपदा प्रतिवादन कोष राज्य कार्यकारी समिति को व राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध होगा। जनपद स्तरीय कोष जनपद प्राधिकरणों को उपलब्ध होगें

(घ) आपातकालीन आपूर्ति व्यवस्था (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 50)

आपदा की परिस्थितियों में राष्ट्रीय या राज्य प्राधिकरण के बचाव या राहत सामग्रियों की आपातकालील क्रय आवश्यकता के प्रति संतुष्ट होने की स्थिति में:

1. इनके द्वारा सम्बन्धित विभाग को आपातकालीन क्रय हेतु प्राधिकृत (Authorize) किया जा सकता है तथा इन परिस्थितियों में सामान्य निविदा प्रक्रिया (Tender Procedure) का अनुपालन किये जाने की बाध्यता नहीं होगी
2. राष्ट्रीय, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत नियंत्रक अधिकारी (Authorized Controlling Officer) द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र को लेखा (Accounting) सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिये पर्याप्त

दंडात्मक व्यवस्थायें (आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51–56)

(क) अवरोध उत्पन्न करना: बिना पर्याप्त एंव तर्कसंगत कारण के आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन कर रहे राज्य या केन्द सरकार के कार्मिकों या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के कार्यों को बाधित करने या, राज्य या केन्द्र सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा या उनकी ओर से निर्गत निर्देशों की अवहेलना (Non – Compliance) के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास (Imprisonment) या दोनों दिये जा सकते है। दोषी व्यक्ति के कृत्यों के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या जान जोखिम में पड़ने की स्थिति में कारावास की अवधि को दो वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 51)

(ख) दोषपूर्ण दावे: राहत, पुनर्वास, पुननिर्माण या अन्य लाभों को लिये जाने के उद्देश्य से सरकार एंव सम्बन्धित प्राधिकरण के समक्ष जान–बूझ कर (Knowingly) गलत दावे (False Claims) प्रस्तुत करने के दोषी व्यक्ति को दो वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदण्ड़ (Fine) दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 52)

(ग) धन या संसाधनों का दुरूपयोग: आपदा की परिस्थितियों में धन एंव संसाधनों की संरक्षा के लिये अधिकृत व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग या अन्य के लिये इनका उपयोग किये जाने या किसी अन्य को ऐसा करने के लिये विवश (Compel) करने पर सम्बन्धित को दो वर्ष तक का कारावास व अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 54)

(घ) मिथ्या चेतावनी (False Warning): आपदा या फिर उसकी तीक्ष्णता (Severity) या परिमाण (Magnitude) के विषय में मिथ्या चेतावनी देने के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड़ दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 54)

(ङ) अधिकारी द्वारा कार्य न करना: जब तक सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय से लिखित अनुमति न ली जाये इस अधिनियम में निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन न करने पर या इस हेतु उपस्थित न होने पर उसे एक वर्ष तक का कारावासया अर्थदण्ड दिया जा सकता है (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 56)

आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अन्य प्रमुख प्रावधान

(क) राहत कार्यों के लिये संसाधनों को हस्तगत करना (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 65): सम्बन्धित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न के सन्दर्भ में संतुष्ट होने पर कि

1. त्वरित प्रतिवादन (Response) के लिये किसी संस्था या व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन आवश्यक है
2. बचाव कार्यों के लिये किसी अवसंरचना की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ सकती है या

3. संसाधनों की आपदा प्रभावित क्षेत्र में आपूर्ति के लिये या फिर बचाव, पुनर्वास या पुनर्निमाण सम्बन्धित यातायात व्यवस्था के लिये किसी विशिष्ट यातायात संसाधन की आवश्यकता है

   - सम्बन्धित प्राधिकृत व्यक्ति के लिखित आदेशों के क्रम में उक्त संसाधनों को अधिग्रहित किया जा सकता है परन्तु इन संसाधनों को अधिकृत किये जाने की अवधि इनके आपदा प्रयोजनों में प्रयुक्त होने वाली अवधि से अधिक नहीं होगी

   - संसाधनों के अधिग्रहण सम्बन्धित आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास या अर्थदण्ड़ (Fine) दिया जा सकता है

(ख) चेतावनी प्रसारण (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 67 व 74)

1. राष्ट्रीय, राज्य व जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण आपदा सम्बन्धित चेतावनियो, जानकारियों या अन्य के प्रसारण के लिये किसी भी प्रकार के श्रव्य या दृश्य–श्रव्य संचार माध्यम (Audio or audio- visual media) के नियन्त्रक को इस हेतु निर्देशित किये जाने की संस्तुति सरकार को कर सकती है और सम्बन्धित संचार माध्यम उक्त का अनुपालन किये जाने के लिये बाध्य होगा

2. केन्द्र व राज्य सरकार, राष्ट्रीय व राज्य कार्यकारी समितियों तथा राष्ट्र, राज्य व जनपद प्राधिकरणों के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके द्वारा अधिकारिक क्षमता (Oficial Capacity) में दी गयी या प्रसारित की गयी किसी भी आपदा सम्बन्धित चेतावनी के लिये या फिर इस प्रकार की चेतावनी के आधार पर निर्गत आदेशों या किये गये कार्यों के लिये पूर्ण विधीय प्रतिरक्षा (Immunity) प्राप्त होगी

3. विधीय व्यवस्था (आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धाारा 71 व 73)
   - सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) एंव उच्च न्यायालय (High Court) के अतिरिक्त अन्य किसी भी न्यायालय में आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य सरकार, राज्य या जनपद प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी भी कार्य, आदेश, निर्देश या मार्गनिर्देश के सम्बन्ध में विधीय कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी
   - आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत या तद्सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत अच्छी भावना से किये गये किसी भी कार्य के लिये राज्य या केन्द्र सरकार या राज्य व जनपद प्राधिकरण, या इनका कोई कार्मिक या इनके लिये कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के विरूद्व किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है